



अभियांत्रिकी सेवा एकक/Engineering Services Unit NOTICE INVITING TENDER

APPOINTMENT OF ARCHITECT/CONSULTANT

CSIR-NEERI wishes to appoint an Architect/Consultant for the work of Construction of a new ladies washroom near the auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur. The work is located at CSIR-NEERI, Nagpur and the scope is given under point 3 in the Conditions of agreement. The Architectural/Consultant has to work out the cost of the project based on the scope of work and quote their fees (Lumpsum) accordingly.

It is proposed to shortlist the Architect/Consultancy firms in the first instance. Interested parties who have successfully carried out (started and completed) at least three similar works (Building Construction Work) of equal or three works of higher magnitude during the last 3 years for Govt. & Semi-Govt./Public Undertaking/Reputed Private Organisations or CSIR and its laboratories need only apply along with the following information and supporting documents. The turnover of the architect/consultant should be minimum Rs. 40Lakhs for the last 3 consecutive years (a valid ITR /CA certificate needs to be provided).

- I. Name and style of the firm with their constitution/proprietorship/partnership details etc. and date of establishment/registration.
- II. Organization structure, technical and other staff with their qualification.
- III. List of work successfully completed in the last 10 years with testimonials.
- IV. Details of work in hand with value and likely dates of completion.

Bidders are required to submit copies of valid GST registration, PAN, and similar work completion certificate from Govt. or Semi Govt. Organization, ITR /CA certificate for yearly turnover and Letter of Transmittal and above said information.

A bid shall be downloaded **online from** portal: https://www.neeri.res.in/contents/tender by the tenderer from **01/08/2023** to **07/08/2023**. Bidders are required to submit the bid up to **3.00 P.M**. on **08/08/2023**. First credential documents will be opened on **09/08/2023 at 3.30 P.M**. at CSIR-NEERI, Nagpur. After scrutinizing of application, the financial bid of the qualifying bidder will be opened thereafter.

Director, CSIR-NEERI, Nagpur reserves the right to reject any or all the tenders or to accept them in part, or reject the lowest tender without assigning any reason. For inquiries please contact Engineering Services Unit, CSIR NEERI, Nehru Marg, Nagpur -440020 (tele: 0712-2249885 – 88, Ext. 445/360)

Head Engineering Services Unit





अभियांत्रिकी सेवा एकक/Engineering Services Unit

LETTER OF TRANSMITTAL

(to be printed on the bidder's letterhead and submitted with the bid document)

To

The Director

CSIR-National Environmental and Engineering Research Institute

Nehru Marg,

Nagpur 440 020

Sub: Appointment of Architect/consultant for Construction of a new ladies washroom near auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur.

Ref: Tender document no 50(16)/2023-24/W

Having examined the details given in the tender document for the above work,

- I/we hereby submit the tender documents and other relevant information.
- I/we agree with all the terms and conditions given in the bid document.
- I/We hereby certify that all the statements made and information supplied in the enclosed forms and accompanying statements are true and correct. We hereby state that we are not blacklisted by any department.
- I/We have furnished all the information and details necessary for eligibility criteria and have no further
 pertinent information to supply. We understand and agree that financial bids of the only short-listed agencies
 selected by CSIR-NEERI, Nagpur out of the top-ranked technically qualified agencies evaluated and found eligible
 under the relevant clause of the NIT, shall only be opened.
- I/We submit the requisite certified solvency certificate and authorize the Director, CSIR-NEERI, Nagpur to approach the Bank issuing the solvency certificate to confirm the correctness thereof.
- I/We also authorize CSIR-NEERI, Nagpur to approach individuals, employers, firms, and corporations to verify our competence and general reputation.
- I/We submit the following certificates in support of our suitability, technical know-how & capability for having successfully completed the following works.

Sr.	Credentials	Enclosed Scan copy of
No.		certificates/documents
1	GST registration	Yes/No
2	PAN	Yes/No
3	Similar Work Completion certificate as per NIT	Yes/No
4	Name and style of the firm with their constitution/proprietorship/partnership details etc. and date of establishment/registration.	Yes/No
5	Organization structure, technical and other staff with their qualification.	Yes/No
6	Details of work in hand with value and likely dates of completion.	Yes/No

Date:

Signature and Seal of the Bidder





CONTRACT DOCUMENTS

No. 50(16)/2023-24/W

Name of Work:	Appointment of Architect/consultant for Construction new ladies washroom near
	auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur.

Name of the Tenderer:	
	<u></u>

This is to certify that I have received all the documents i.e. from Page No. 1 to 13 as mention in the content sheet at Page No. 2 and I have read all the pages before submission of this tender.

Signature of the Bidder





CONTENTS

I.	NOTICE INVITING TENDER	3
II.	ARTICLES OF AGREEMENT	5
III.	CONDITIONS OF AGGREMENT	
	1. DEFINATION	6
	2. BUILDING	6
	3. SCOPE OF WORK	6
	4. Payment of Remuneration	7
	5. Additions and alterations	8
	6. Time Schedule	8
	7. Compensation For Delay	9
	8. Abandonment Of Work	9
	9. Termination	10
	10. Arbitration	10
	11. Number Of Drawing Sets Etc. And Copy Right	11
	12. Determination Or Rescission Of Agreement	11
	General:	
	13. Scrutiny Of Drawings	12
	14. Consultants Shall Supply	12
	15. Consultants Hereby Agree	12
	16. Exclusion Clause	12
	17. Proforma for Financial Bid – Annexure "A"	13





NOTICE INVITING TENDERS

Sealed tenders are hereby invited for the work of **Appointment of Architect/consultant for Construction new ladies washroom near auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur** from Architectural/Consultant.

- The bidder has to work out the cost of project based on scope of work and coat the Architecture/Consultancy fee in Lump Sum in the enclosed Proforma for Financial Bid.
- Time for carrying out the work will be 8(Eight) months and date of commencement shall
 be reckoned from the tenth day after the date of order to commence work or actual
 date of start whichever is earlier. In case the site is handed over at later date, the same
 shall be reckoned as date of start.
- 3. Bid shall be downloaded online from portal: https://www.neeri.res.in/contents/tender by the tenderer from 01/08/2023 to 07/08/2023. Tenderers are required to be submit the bid up to 3.00 P.M. on 08/08/2023. First credential documents will be opened on 09/08/2023 at 3.30 P.M at CSIR-NEERI, Nagpur. After scrutinizing of application, the financial bid of the qualifying bidder will be opened thereafter. The Employer does not bind himself to accept the lowest or any tender and reserves to himself the right of accepting the whole or any part of the tender and the same at the rates quoted.
- 4. Canvassing in connection with the tenders is prohibited and the tenders submitted by the contractor who resort to canvassing are liable for rejection.
- 5. The tenderer shall not be permitted to tender for works in the concerned unit of CSIR in which a relative is posted in the grade between Controller of Administration and Junior Engineer. (Both inclusive) He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or subsequently employed by him and who relatives are as mentioned above.

NOTE:

A person shall be deemed to be a relative of another if, and only if, (a) they are members of a Hindu undivided family; or (b) they are husband and wife; or (c) the one is related to the other in the following manner: Father, Mother (including step mother), Son (including step son), Son's wife, Daughter (including step daughter), Father's father, Son's son, Son's wife, Son's daughter, Son's daughter's husband, Daughter's son, Daughter's son's wife, Daughter's daughter, Daughter's husband, Brother (including step brother), Brother's wife, Sister (including step sister), Sister's husband.





- 6. Tender submitted shall remain valid for 90 days from the date of opening for the purpose of acceptance and award of work, validity beyond 90 days from the date of opening shall be by mutual consent.
- 7. The tenderer should see, drawings and in case of doubt obtain required particulars, which may in any way influence his tender from the Engineer as no claim whatsoever will be entertained for any alleged ignorance thereof.
- 8. Before tendering, the tenderer shall inspect the site to fully acquaint himself about the condition in regard to accessibility of sight, nature and extent of ground, working conditions of the site and locality including stacking of materials, installations of tools and plants (T&P) etc., conditions affecting accommodations and movement of labour etc. required for the satisfactory execution of the work contract. No claim whatsoever on such account shall be entertained by the **Employer** in any circumstances.
- 9. Except writing rates and amount, the tenderer should not write any conditions or make any changes, additions, alterations and modifications in the E- tenders. Tenders who are desirous to offer rebate the same should be brought out separately in the covering letter and submitted along with the tender.
- 10. "ESCLATION" will not be applicable in this contract.





ANNEXURE C

ARTICLES OF AG	
Memorandum of Agreement, made this	day
of between the Council of Scientific	& Industrial Research, New Delhi, a society
registered under the societies Registration Act, 18	360. (hereinafter referred to as Employer)
which expression shall, unless excluded by or repu	gnant to the context, be deemed to include
his successors in office, representatives and	d assigns of the one part and M/s
	having its office at
	(hereinafter referred to as the
Architect / Consultant)* which expression shall, context, be deemed to include their successors in part.	
Whereas the Employer is desirous of undertakin	g the construction of building / project in
accordance with general requirements as set out in consultant has agreed to perform the services a subject to the terms and conditions set forth in th	n the enclosed conditions, and whereas the as set out in the enclosed conditions and
Now, the present witnessed and it is hereby agree	d by between the parties hereto as follows:
The employer appoints the Architect / Consultange the appointment on the terms and condition Agreement annexed hereto. The conditions of a and parcel of this present.	ns mentioned in the conditions of the
In witness whereof, the Employer through his deland and the consultant through their duly authornmon seal hereunto the day and year first above	norized representatives have affixed their
For and on behalf of	
M/s	
	For and on behalf of the Council of Scientific & Industrial Research
Common Seal of the Architect / Consultant* Above named has been affixed by	
(Managing Director / Secretary / Chairman / Partn	er)
In the presence of	In the presence of
1.	1.
2.	2.
Note: The term 'Architect / Consultant 'may be	used as nor Para 3 3 of Guidelines





CONDITIONS OF AGREEMENT

1. Definitions

For the purpose of the agreement, the following words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them except where the context otherwise requires:

- 'Approved' means approved by employer's representative in writing including subsequent confirmation of previous approval and 'Approval' means approval by Employer's representative in writing as above said.
- ii. 'Employer' shall mean Director-General, CSIR or any officer authorized by Director General for the purpose.
- iii. Engineer: shall mean the Engineer designated by the Employer to superintend and perform other duties as indicated in the Contract.
- iv. Architect / Consultant* means M/s ______ having a registered office at _____ or their permitted assigns or successors in office and authorized representative.
- v. 'Tendered Cost' means the cost at which the work is awarded to Architect / Consultant for execution.
- vi. 'site' shall mean the site of the contract / Architectural works including any building and erection thereon and any other land adjoining thereto (inclusive) as aforesaid allotted by the Employer or the Engineer for the contract's use.
- **2. 'Building'** shall mean the proposed Construction new ladies washroom near auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur.

3. Scope of work for Architects:

- ➤ Preparation of design & drawing of the Ladies washroom/Toilet Block (minimum three schemes to be provided). The design shall be state of art building matching with the latest specification as observed at International/Domestic airports or Lounges at the terminal building. The total requirement of toilet blocks as considered in the tentative cost are 10units of EWC (including one for differently able person)
- Preparation of 3D drawing of the approved plan showing the exact concept of design (minimum three different schemes).
- Preparation and approval of Design & drawing of the Ladies washroom/Toilet Block from the local statutory authority i.e. Nagpur Municipal Corporation (NMC).
- > Special emphasis on design of flushing system for the toilet so that grey water shall be used.
- Preparation of detailed work estimate [on latest CPWD Delhi Schedule of Rates (DSR)], bill of quantity, Rate Analysis for non-schedule items and justification of tendered items before award of work.
- > Time to time supervision of work during execution.
- > Final certification of work before issue of completion certificate.





4. Payment of Remuneration:

REMUNERATION

The fees for the Architectural consultancy for the above project will remain unchanged even if the total cost of the project increases subsequently. The fee includes the cost of providing local representative for day to day liasioning during the designing and executing the project and travel expenses towards periodical supervision by the Architects, Engineers and other technical persons. All taxes are to be borne by the architect.

(a) The Consultancy Fee:

The Employer agrees to pay the consultants for the professional services to be rendered by them as herein above described at 3 (I, II, III, IV) the following fee. A lump sum fee of Rs.....(to be quoted in Proforma for Financial Bid only as per Annexure -A) for inviting financial bid from the contractors for execution of work which includes entrusted services on admissible items minus, cost of bulk equipment's like generators, lifts and transformers, Air conditioning equipment's if this equipment's are purchased by the department directly without any design & other inputs from the consultants. In case the building is centrally air-conditioned, the cost of the A/C equipment's will be included provided the planning & design work is done by the consultant. Subsequent escalation in tendered cost of work due to variations in the cost of labour, material, specifications etc. shall not be paid. For any portion of work deleted at any stage, the consultant shall be paid the fee only up to the stage of work done just before deletion. No additional fee is payable for deviations in the quantities of any item during actual execution. Fee shall be calculated on estimated cost put to tender for inviting financial bid from the contractors for execution of work. No extra/ substituted items, deviations (plus/minus) shall be considered.

(b) The above fee at 4(a) is inclusive of fee payable by the consultant to any other consultant / Associate(s) and nothing extra shall be payable by the Employer for this purpose. No separate amount is payable for GST and the same is deemed to be included in the above fee. The consultant shall be reimbursed any other future taxes imposed by the Govt. subject to submission of proof of payment of such taxes.

(C) Mode of Payment:

1	Approval of preliminary schemes, detailed drawings, and	15%
	estimates	
2	Preparation of detailed drawings and estimates	20%
3	During the execution of work (on a pro-rata basis) Commensurate with the value of the work executed	55%
4	Balance, 6 months after successful completion/commissioning of the project/building	10%





5. Additions and alterations:

The Employer shall have the right to request in writing for additions alterations, modifications or deletions in the design and drawing of any part of the work and to request in writing for additional work in connection therewith and the consultants shall comply with such requests without any extra cost.

- ii) However, if the employer deviates substantially from the original scheme which involves change in the scope of work leading to increase in overall tendered cost by more than 10% and the Consultant is necessarily required to issue fresh drawings for these works for its proper execution, extra services, expenses and extra labour on the part of the consultant for making changes and additions to the drawings, specifications or other documents due to tendering major part or whole of his work infructuous, the Consultants may then be compensated for such extra services and expenses on quantum merit basis at percentage applicable under this agreement and to be determined mutually unless such changes, alterations are due to consultants' own omissions and/or discrepancies, including changes under clause 3 due to changes required by consultants of all internal, external services. The decision of the Employer shall be final on whether the deviation and additions are substantial as requiring any compensation to be paid to the consultants. However, for the minor modification or alteration which does not affect the entire design, planning etc. no amount will be payable.
- iii) If it is found after call of tenders that the acceptable tender is not within the amount sanctioned, the consultants shall, if so desired by the employer, take steps to carry out necessary modifications in the design and specifications to see that the tendered cost does not exceed the amount of corresponding sanction by more than 5% (five percent). The consultants shall not be paid anything extra for such modifications. If the employer is convinced that the trend of the market rate is such that the work cannot be done within the amount of sanctioned estimate, the consultants shall submit a revised estimate expeditiously for obtaining sanction of the competent authority.
- iv) The consultant shall not make any material deviation, alteration, addition to or omission from the work shown and described in the contract document except without first obtaining the written consent of the Employer.
- v) The cost of individual work shall not exceed the sanctioned estimate as approved by the employer. Employer's approval in advance shall be taken for any such increase anticipated giving full justification.

6. Time Schedule:

Commencement of work:

The commencement of work will be considered from the date of furnishing the requirements and area schedule of various functions by the employer to the consultants after signing the agreement.





- 1) Furnish a site evaluation and analysis report with basic approach to circulation, activity distribution and interaction and external linkage 1 weeks.
- 2) Furnish preliminary report on environmental impact of the project and finalize if after discussion with client clearly outlining the measures required for mitigating adverse impact- 5 weeks. -----Not applicable for this work----
- 3) Prepare conceptual design with references to requirements given and prepare approximate estimates of cost by cubic measurements or on area basis as per CPWD norms for approval by clients 2 weeks.
- 4) Modify the conceptual design incorporating required change and prepare preliminary drawings and design and study model for the client's approval along estimate of cost on CPWD norms 2 weeks.
- 5) Prepare drawings necessary for submission to statutory bodies for sanction and arrange to procure the sanctions required to take up the construction work . -----Not applicable for this work----
- 6) Prepare working drawings, specifications and schedule of quantities with rates sufficient to prepare estimate of cost **2 weeks**.
- 7) Prepare part working drawings including large scale and full size details, detailed specifications and schedule of quantities sufficient to invite tenders 2 weeks.
- 8) Time to time supervision of work during execution—as per Civil work contract
- 9) Final certification of work before issue of completion certificate-- 2 weeks.

7. Compensation for delay:

The time allowed for carrying out the work as specified in clause 6 shall be strictly observed by the consultants and shall be deemed to be the essence of the contract on the part of the consultants. The work shall thorough-out the stipulated period of the contract be processed with all diligence and in the event of failure of the consultants to complete the work within time schedule as specified above or within the extended period as approved by the employer in writing, the consultants shall pay as compensation amount equal to ½ % (half percent) for every week of delay on total fee payable, that the works remain unfinished after the specified date subject to maximum of 5% of the total fee payable to the consultant.

8. Abandonment of work:

That if the consultant abandons the work for any reason whatsoever or become incapacitated from action as consultants as aforesaid, the employer may make full use of all or any of the drawings prepared by the consultants and the consultants shall be liable to refund any excess fees paid to them up to that date plus such damages as may be assessed by the employer.





9. Termination:

The employer without any prejudice to its right against the consultants in respect of any delay or otherwise or to any claims for damages in respect of any breaches of the contract and without prejudice to any right or remedies under any of the provisions of this contract may terminate the contract by giving one months' notice in writing to the consultants and in the event of such termination, the consultants shall be liable to refund the excess payment, in any, made to them over and above what is due in terms of this agreement on the date of termination and employer may make full use of all or any of the drawings prepared by the consultants.

In case due to any circumstances, the employer decides to curtail the scope of work or totally abandon the work, the payment to the consultants would be made based on approved preliminary estimate up to the stage of work executed by him immediately before taking such a decision. However, once the work is awarded and then the scope is reduced, the payment to the consultants will not be affected so long as he has completed supply of all drawings and schedule as per agreement.

10. Arbitration:

That if any dispute, difference or question shall at any time arise between the parties in respect of the meaning or interpretation of this agreement or covering anything herein contained or the validity of the enforcement thereof which cannot be settled mutually, shall within 30 days (or such longer period as may be agreed upon) from the date one party informs the other in writing that such dispute or disputes or disagreements exist, be referred to sole arbitration by a person appointed by the DG CSIR.

The arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason, DG CSIR as at the time of such transfer, vacation of office or inability to act, shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. The arbitration proceedings will be conducted in accordance with and be subject to Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time and the decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties.

The arbitrator will have its seat at site of work or at such place in India as may be decided by the arbitrator.

The consultants shall continue to perform their duties with diligence notwithstanding the fact that a dispute has been referred to arbitration or any dispute or difference has arisen. It is also the term of the agreement that if the consultant do not make demand for arbitration in respect of any time in writing within 90 days of receiving intimation from the employer that the final bill is ready for payment, the claim of the consultant will be





deemed to have been waived and absolutely barred and the employer shall be discharged and released of all liabilities under the agreement in respect of these claims.

11. Number of Drawing Sets, etc. and copy right:

- All the estimates, details of quantities (BOQ) detailed designs, reports and any other
 details envisaged under this agreement, including drawings architectural, structural,
 electrical, air conditioning or other services (internal and external) would be supplied
 by the consultants as indicated above, but not less than three specified sets of prints
 and one reproducible copy (computerized copy) in A-1 size.
- Any extra sets of drawings, if required the employer shall be supplied at mutually agreed cost. All these drawings will become the property of the employer and he will have the right use of the same anywhere else. In that event, the employer will pay a royalty to the consultants on mutually acceptable basis. The drawing cannot be issued to any other person, firm or authority or used by the consultants for any other project. No copies of any drawing or document shall be issued to anyone except the employer and authorized representative.

12. Determination or Rescission of Agreement:

The employer without any prejudice to its right against the consultant in respect of any delay by notice in writing absolutely may determine the contract in any of the following cases:

- i) If the consultants being a company shall pass a resolution or the court shall make an order that the company shall be wound up or if a receiver or a manager on behalf of the creditor shall be appointed or if circumstances shall arise which entire the court or creditor to appoint a receiver or a manager which entitles the court to make up a winding order.
- ii) If the consultants commit breach of any of the terms of agreement.

When the consultants have made themselves liable for action under any of the clauses aforesaid, the employer shall have powers:

- a) To determine or rescind the agreement
- b) To engage another consultant(s) to carry out the balance work at the risk and cost of the consultant and debiting the consultant(s) the excess amount, if any, so spent.





General:

- 13. The scrutiny of the drawing, and designs by the employer's own supervisory staff, if any, does not absolve the consultants of their responsibility under the agreement. The consultants shall remain solely responsible for structural soundness of the design and for all provisions of the contract so as to satisfy the particular requirement of the Architectural specifications.
- **14. The consultants shall supply** to the employer copies of all documents, instructions issued to contractors, if any, relating to the work, drawings, specifications, bill of quantities and also other documents as may be required.
- **15. The consultants hereby agree** that the fees to be paid as provided herein (clause 4) will be- in full discharge of function to be performed by him and no claim whatsoever shall be against the employer in respect of any proprietary rights or copy rights on the part of any party relating to the plans, models and drawings.

The consultants shall indemnify and keep indemnified the employer against any such claims and against all costs and expenses paid by the employer in defending himself against such claims.

- **16. The consultant will assist** the employer in the following:
 - I. Preparation of NIT/Tender documents and BOQ
 - II. Call of tenders, tender evaluation and award of work on contract.
 - III. Pre-qualification of contractors and its conditions.





Annexure – A Proforma for Financial Bid (To be put in sealed cover) Ref No Date Director NEERI, Nehru Marg,
Nagpur. 440 020
Sub: Appointment of Architect/consultant for Construction new ladies washroom near auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur.
Dear Sir, We have carefully noted the scope of work (as mentioned in Conditions of
Agreement article 3.0 for which price bid is sought) for providing our Architect/Consultancy
Services for the above subject work. We are pleased to quote our fees (on Lump sum basis) as
INR) for providing our
services as per the scope of work and terms & conditions of Agreement.
Thanking you,
Signature with name and Date: Designation of the competitor. (Authorized Seal)





अभियांत्रिकी सेवा एकक/Engineering Services Unit

निविदा आमंत्रण सूचना

वास्तुकार/सलाहकार की नियुक्ति

सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में सभागार के पास नए महिला शौचालय का निर्माण करने के लिए सीएसआईआर-नीरी, नागपुर एक वास्तुकार / सलाहकार नियुक्त करना चाहता है। यह कार्य सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में स्थित है और अनुबंध की शर्तों तथा कार्यक्षेत्र मद संख्या 3 के तहत दिया गया है। वास्तुविद/परामर्शदाता को कार्य के दायरे के आधार पर परियोजना की लागत निकालनी होती है और तदनुसार अपनी फीस (एकमुश्त) उद्धृत करनी होती है।

पहली बार में आर्किटेक्ट/परामर्श फर्मों को शॉर्टिलिस्ट करने का प्रस्ताव है। इच्छुक पार्टियां जिन्होंने सरकार के लिए पिछले 03 वर्षों के दौरान अर्ध सरकारी/सार्वजिनक उपक्रम/प्रतिष्ठित निजी संगठन या सीएसआईआर एवं इनकी प्रयोगशालाओं हेतु समान परिमाण के कम से कम तीन समान कार्यों (भवन निर्माण कार्य) या उच्च परिमाण के तीन समान कार्यों को सफलतापूर्वक (शुरू और पूर्ण) किया है , केवल वे ही निम्नलिखित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। वास्तुकार/परामर्शदाता का टर्नओवर पिछले 3 लगातार वर्षों के लिए न्यूनतम रु. 40 लाख होना चाहिए (वैध आईटीआर / सीए प्रमाणपत्र प्रदान करने की आवश्यकता है)।

- फर्म का नाम तथा शैली उसके गठन/स्वामित्व/साझेदारी संबंधी विवरण आदि तथा स्थापना/पंजीकरण की तारीख ।
- II. संगठन संरचना, तकनीकी और अन्य कर्मचारी उनकी योग्यता।
- III. प्रशंसापत्र सहित पिछले 10 वर्षों में सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यों की सूची।
- IV. वर्तमान में जारी कार्य विवरण एवं मूल्य के साथ तथा पूर्ण होने की संभावित तिथियां।

निविदाकारों को वैध जीएसटी पंजीकरण, पैन, सरकार या अर्ध सरकारी संगठन से समान कार्य समापन प्रमाण पत्र की प्रतियां, वार्षिक टर्नओवर के लिए आईटीआर/सीए प्रमाण पत्र, प्रेषण पत्र और उपरोक्त जानकारी जमा करना आवश्यक है।

निविदाकर्ता द्वारा बोली केवल नीरी वेबसाइट https://www.neeri.res.in/contents/tender पर 01/08/2023 से 07/08/2023 तक डाउनलोड की जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा निविदा दिनांक 08/08/2023 दोपहर 3.00 बजे तक बोली प्रस्तुत की जानी है। पहले क्रेडेंशियल दस्तावेज 09/08/2023 को दोपहर 3.30 बजे सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में खोले जाएंगे। आवेदन की जांच के बाद, अर्हक बोलीदाता की वित्तीय बोली उसके बाद खोली जाएगी।

निदेशक, सीएसआईआर-नीरी, नागपुर किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए सबसे कम निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पूछताछ के लिए कृपया अभियांत्रिकी सेवा एकक, सीएसआईआर नीरी, नेहरू मार्ग, नागपुर -440020 (टेली: 0712-2249885 - 88, एक्सटेंशन 445/360) से संपर्क करें।

प्रमुख अभियांत्रिकी सेवा एकक





अभियांत्रिकी सेवा एकक/Engineering Services Unit

प्रसारण पत्र

(बोलीदाता के लेटर हेड पर प्रिंट किया जाए और बोली दस्तावेज के साथ जमा किया जाए)

प्रति

निदेशक

सीएसआईआर (राष्ट्रीय पर्यावरण अभि यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान)

नेहरू मार्ग, नागपुर 440 020

विषय: सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में सभागार के पास नए महिला शौचालय का निर्माण करने हेतु

संदर्भ: निविदा दस्तावेज संख्या 50(16)/2023-24/डब्ल्यू

उपरोक्त कार्य के लिए निविदा दस्तावेज में दिए गए विवरण की जांच करने के बाद

- मैं/हम एतद् द्वारा निविदा दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक जानकारी जमा करते हैं।
- मैं/हम बोली दस्तावेज में दिए गए सभी नियमों और शर्तों से सहमत हूं/हैं।
- मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि दिए गए सभी विवरण और संलग्न प्रपत्रों और संलग्न विवरणों में दी गई जानकारी सत्य और सही है। हम एतद्वारा यह कहते हैं कि हमें किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- मैंने/हमने पात्रता मानदंड हेतु आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं और आपूर्ति करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी शेष नहीं है। हम समझते हैं और सहमत हैं कि सीएसआईआर-नीरी, नागपुर द्वारा तकनीकी रूप से योग्य एजेंसियों में से चयनित शीर्ष रैंक वाली तथा एनआईटी के प्रासंगिक खंड के तहत योग्य पाए जाने वाली एकमात्र शॉर्ट लिस्टेड एजेंसि की वित्तीय बोलियां ही खोली जाएंगी।
- मैं/हम अपेक्षित प्रमाणित शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं और निदेशक, सीएसआईआर-नीरी, नागपुर को शोधनक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने वाले बैंक से संपर्क करने के लिए अधिकृत करते हैं ताकि इसकी यथार्थता की पुष्टि हो सके।
- मैं/हम सीएसआईआर-नीरी, नागपुर को हमारी क्षमता और सामान्य प्रतिष्ठा को सत्यापित करने हेतु व्यक्तियों, नियोक्ताओं, फर्मों और निगमों से संपर्क करने के लिए भी अधिकृत करते हैं।

मैं/हम निम्नलिखित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपनी उपयुक्तता, तकनीकी जानकारी और क्षमता के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

豖.	प्रत्यय पत्र	प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों
		की संलग्न स्कैन प्रति
1	जीएसटी पंजीकरण	हाँ / नही
2	पॅन	हाँ / नही
3	एनआईटी के अनुसार समान कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र	हाँ / नही
4	फर्म का नाम और शैली उनके गठन/स्वामित्व/साझेदारी विवरण आदि और	हाँ / नही
	स्थापना/पंजीकरण की तिथि के साथ।	
5	संगठन संरचना, तकनीकी और अन्य कर्मचारी उनकी योग्यता के साथ।	हाँ / नही
6	वर्तमान में जारी कार्य विवरण एवं मूल्य के साथ तथा पूर्ण होने की संभावित तिथियां।	हाँ / नही

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

नेहरू मार्ग, नागपुर - 440 020 भारत - Nehru Marg, Nagpur - 440 020 INDIA Phone(O):0712-2249885-88,Ext.445/288/360 Fax:0712-2249900 E-mail:director@neeri.res.in URL: www.neeri.res.in



सी. एस. आई. आर. –राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान **CSIR-National Environmental Engineering Research Institute**



अनुबंध दस्तावेज

सं. 50(16)/2023-24/डब्ल्यू

कार्य का नाम: सीएसआईआर्-नीरी, नागपुर में सभागार के पास नए महिला
शौचालय का निर्माण करने हेतु वास्तुकार/परामर्शदाता की नियुक्ति।
निविदाकर्ता का नाम:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे सभी दस्तावेज अर्थात पृष्ठ संख्या 1 से 13 तक प्राप्त हो गए हैं जैसा कि पृष्ठ संख्या 2 पर सामग्री पत्रक में उल्लेख किया गया है और मैंने इस निविदा को जमा करने से पहले सभी पृष्ठों को पढ़ लिया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर





विषय-सूची

I.		निविदा आमंत्रण सूचना	3
II.		अनुबंध के लेख	5
III.		समझौते की शर्तें	
	1.	परिभाषा	6
	2.	भवन	6
	3.	कार्य का दायरा	6
	4.	विलंब के लिए मुआवजा	7
	5.	काम का परित्याग	8
	6.	समाप्ति	8
	7.	मध्यस्थता	9
	8.	ड्राइंग सेट आदि की संख्या और कॉपी राइट	9
	9.	अनुबंध का निर्धारण या निरस्तीकरण	10
	10.	चित्रों की जांच	10
	11.	सलाहकार आपूर्ति करेंगे	11
	12.	सलाहकार एतद्वारा सहमत हैं	11
	13.	सलाहकार	12
	14.	की क्षतिपूर्ति करेंगे	12
	15.	सलाहकार की क्षतिपूर्ति करेंगे	12
	16.	सलाहकार सहायता करेगा	12
	17.	वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा - अनुबंध "ए"	13





निविदा आमंत्रण सूचना

सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में सभागार के पास नए महिला शौचालय का निर्माण करने के लिए वास्तुविद/परामर्शदाता की नियुक्ति के कार्य के लिए एतद्वारा मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

- बोलीदाता को कार्य के दायरे के आधार पर परियोजना की लागत की गणना करनी होगी और वित्तीय बोली के लिए संलग्न प्रोफार्मा में आर्किटेक्चर/परामर्श शुल्क को एकमुश्त में कोट करना होगा।
- 2. कार्य करने का **समय 8(आठ) माह** होगा। कार्य के निष्पादन के लिए और एनएमसी से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए एक माह) प्रारंभ होने की तिथि कार्य प्रारंभ करने के आदेश की तिथि के दसवें दिन या प्रारंभ की वास्तविक तिथि जो भी पहले हो, से मानी जाएगी। यदि साइट बाद में सौंप दी जाती है, तो इसे शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा।
- 3. निविदाकर्ता द्वारा बोली केवल नीरी वेबसाइट https://www.neeri.res.in/contents/tender पर 01/08/2023 से 07/08/2023 तक डाउनलोड की जाएगी। निविदाकर्ता द्वारा निविदा दिनांक 08/08/2023 दोपहर 3.00 बजे तक बोली प्रस्तुत की जानी है। पहले क्रेडेंशियल दस्तावेज 09/08/2023 को दोपहर 3.30 बजे सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में खोले जाएंगे। आवेदन की जांच के बाद, अर्हक बोलीदाता की वित्तीय बोली उसके बाद खोली जाएगी। नियोक्ता सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और निविदा को पूरी या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
- 4. निविदाओं के संबंध में प्रचार करना प्रतिबंधित है और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदाएं जो प्रचार का सहारा लेती हैं, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।
- 5. निविदाकार को सीएसआईआर की संबंधित इकाई में कार्यों के लिए निविदा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जिसमें रिश्तेदार प्रशासन नियंत्रक और किनष्ठ अभियंता के बीच ग्रेड में तैनात है। (दोनों सिहत) वह उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो उसके साथ किसी भी क्षमता में काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा नियोजित हैं और जो रिश्तेदार ऊपर वर्णित हैं। टिप्पणी:

एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा, और केवल अगर, (ए) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; या (बी) वे पित और पत्नी हैं; या (सी) एक दूसरे से निम्नलिखित तरीके से संबंधित है: पिता, माता (सौतेली मां सिहत), पुत्र (सौतेला पुत्र सिहत), पुत्र की पत्नी, बेटी (सौतेली बेटी सिहत), पिता का पिता, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पत्नी, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी का पित, बेटी का पित, बेटी के बेटे की पत्नी, बेटी की बेटी, बेटी का पित, भाई (सौतेला भाई सिहत), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सिहत), बहन का पित।





- 6. कार्य की स्वीकृति एवं आवंटन के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों तक वैध रहेगी, खोलने की तिथि से 90 दिनों से अधिक की वैधता आपसी सहमित से होगी।
- 7. संदेह की स्थिति में निविदाकार को आवश्यक विवरण देखना चाहिए, चित्र देखना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए, जो किसी भी तरह से उसकी निविदा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि किसी भी कथित अज्ञानता के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. निविदा देने से पहले, निविदाकर्ता साइट का निरीक्षण करेगा ताकि कार्यस्थल तक की पहुंच, परीस्थिति प्रकृति एवं जमीन की सीमा, सामग्री के जमावाडा तथा इलाके की काम करने की स्थिति, उपकरण और संयंत्रों की स्थापना (टी एंड पी) के संबंध में स्थिति के बारे में पूरी तरह से परिचित हो सके। कार्य अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक आवास और श्रमिकों की आवाजाही आदि को प्रभावित करने वाली स्थितियां। किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता द्वारा ऐसे कारणों के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9. दरों और राशि को लिखने के अलावा, निविदाकर्ता को ई-निविदाओं में कोई शर्त नहीं लिखनी चाहिए या कोई परिवर्तन, परिवर्धन, परिवर्तन और संशोधन नहीं करना चाहिए। जो निविदाएं छूट देना चाहती हैं, उन्हें कवरिंग लेटर में अलग से निकालकर निविदा के साथ जमा करना चाहिए।
- 10. इस अनुबंध में "ESCLATION" लागू नहीं होगा।





अनुलग्नक - सी

करार अनुच्छेद (नियमावली)

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के	् तहत पंजीकृत सोसाइटी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद	नियोक्ता कहा जाएगा) जिसमें एक पक्ष, जब तक
इस संदर्भ से हटाया गया अथवा प्रतिकूल न हो,	
गण होंगे तथा मेसर्स	
कार्यालय	-पर स्थित है (जिसे इसके बाद परामर्शदाता
वास्तुविद् कहा जाएगा) जिसमें दूसरा पक्ष जब त	•
उसके दावेदार उत्तराधिकारी और अनुज्ञप्ति पदार्	
केदिन व	
जबिक नियोक्ता संलग्न शर्तों में दी गई सामान्य	9
निर्माण, कार्य आरंभ करना चाहता है और जबवि	<u> </u>
उपर्युक्त शब्दों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के उ	
अब यहां उपस्थित व्यक्ति का साक्ष्य और ऐसा द्वा	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
नियोक्ता वास्तुविद्, परामर्शदाता की नियुक्ति क	<u> </u>
यहां संलग्न करार की शर्तों में उल्लिखित निबंधन	
संलग्नक करार की शर्तें इस का अभिन्न भाग होंगे।	
जिसके साथ में नियोक्ता अपने विधिवत प्राधिकृत	प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य सौंप दिया है और
परामर्शदाता ने अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनि	
जिसमें दिन और वर्ष पहले लिखा है।	
मेसर्स	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
के लिए और की ओर से	अनुसंधान परिषद के लिए और की ओर से
•	,
उपर्युक्त परामर्शदाता की सामान्य मोहर	
(प्रबंध निदेशक/सचिव/अध्यक्ष/भागीदार) द्वारा ल	गाई गई
~~~~	~~~~~~~ <i>``</i>
निम्नलिखित की उपस्थिति में 1	निम्नलिखित की उपस्थिति में 1
2	2
<b>-</b> .	۷.
नोट: वास्तुविद् या परामर्शदाता शब्द का उप	पयोग मार्गदर्शक सिद्धांत के पॅरा 3.3 के अनुसार
<u> </u>	9

किया जाए।





#### करार की शर्तें

### 1. परिभाषाएं

केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां संदर्भ में अन्यथा ऊपर अपेक्षित है करार के लिए निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो अर्थ एतद् द्वारा उनके लिए निश्चित किए गए हैं

- I. अनुमोदित का अर्थ है नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा लिखित में अनुमोदित, पिछले अनुमोदन की उत्तरवर्ती पृष्टि सहित और अनुमोदन का अर्थ है उपर्युक्त अनुसार नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा लिखित में अनुमोदन।
- II. नियोक्ता से अभिप्राय है महानिदेशक, सीएसआईआर अथवा इस उद्देश्य हेतु महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
- III. इंजीनियर से अभिप्राय है संविदा में इंगित अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण और निष्पादन करने हेतु नियोक्ता द्वारा नामोदिष्ट इंजीनियर।
- IV.वास्तुविद / परामर्शदाता से अभिप्राय है मेसर्स ------से अथवा कार्यालय में उनके अनुज्ञप्त समानुदेशिती अथवा उत्तराधिकारी तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से है जिनका पंजीकृत कार्यालय ----------------- पर स्थित है।
- V. निविदागत लागत से अभिप्राय उस लागत से है जिस लागत पर निष्पादन के लिए कार्य परामर्शदाता /वास्तुविद् को सौंपा गया है।
- VI.साइट से अभिप्राय संविदा /वास्तुशिल्प निर्माण कार्य की साइट होगा जिसमें संविदा के उपयोगार्थ नियोक्ता अथवा इंजीनियर द्वारा आवंटित उपर्युक्त अनुसार वहां स्थित कोई इमारत तथा निर्माण और उससे जुड़ी कोई अन्य भूमि शामिल होगी।
- 2. इमारत से अभिप्राय सीएसआईआर-नीरी, नागपुर में सभागार के पास नए महिला शौचालय का निर्माण।
- 3. वास्तुविद् के लिए काम का दायरा:
  - Preparation of design & drawing of the Ladies washroom/Toilet Block (minimum three schemes to be provided). The design shall be state of art building matching with the latest specification as observed at International/Domestic airports or Lounges at the terminal building. The total requirement of toilet blocks as considered in the tentative cost are 10units of EWC (including one for differently able person)
  - Preparation of 3D drawing of the approved plan showing the exact concept of design (minimum three different schemes).
  - Preparation and approval of Design & drawing of the Ladies washroom/Toilet Block from the local statutory authority i.e. Nagpur Municipal Corporation (NMC).
  - > Special emphasis on design of flushing system for the toilet so that grey water shall be used.
  - ➤ Preparation of detailed work estimate [on latest CPWD Delhi Schedule of Rates (DSR)], bill of quantity, Rate Analysis for non-schedule items and justification of tendered items before award of work.
  - > Time to time supervision of work during execution.
  - Final certification of work before issue of completion certificate.





# पारिश्रमिक का भुगतान:

# पारिश्रमिक

उपरोक्त परियोजना के लिए वास्तु परामर्श हेतु शुल्क अपरिवर्तित रहेगा, भले ही परियोजना की कुल लागत बाद में बढ़ जाए। शुल्क में परियोजना के डिजाइन और निष्पादन के दौरान दिन-प्रतिदिन संपर्क के लिए स्थानीय प्रतिनिधि प्रदान करने की लागत और आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और अन्य तकनीकी व्यक्तियों द्वारा आवधिक पर्यवेक्षण के लिए यात्रा व्यय शामिल है। सभी करों को वास्तुकार द्वारा वहन किया जाना है।

# (ए) परामर्श शुल्क:

नियोक्ता सलाहकारों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए सहमत है जैसा कि ऊपर 3 (I, II, III, IV) में वर्णित है, निम्नलिखित शुल्क। कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदारों से वित्तीय बोली आमंत्रित करने हेतु एकमुश्त शुल्क ..... (केवल वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा - अनुबंध "ए" में उद्धृत किया जाना है) रुपये का एकमुश्त शुल्क ...... ट्रांसफार्मर, एयर कंडीशनिंग उपकरण यदि यह उपकरण विभाग द्वारा सीधे बिना किसी डिजाइन और सलाहकारों से अन्य इनपुट के खरीदे जाते हैं। यदि भवन केंद्रीय रूप से वातानुकुलित है, तो एसी उपकरणों की लागत को शामिल किया जाएगा बशर्ते योजना और डिजाइन का काम सलाहकार द्वारा किया गया हो। श्रम, सामग्री. विनिर्देशों आदि की लागत में भिन्नता के कारण कार्य की निविदा लागत में बाद में वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर पर हटाए गए कार्य के किसी भी हिस्से के लिए, सलाहकार को केवल हटाए जाने से ठीक पहले किए गए कार्य के चरण तक ही शुल्क का भुगतान किया जाएगा। वास्तविक निष्पादन के दौरान किसी मद की मात्रा में विचलन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं है। शुल्क की गणना कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदारों से वित्तीय बोली आमंत्रित करने के लिए निविदा में रखी गई अनुमानित लागत पर की जाएगी। कोई अतिरिक्त/प्रतिस्थापित आइटम, विचलन (प्लस/माइनस) पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी) 4(ए) पर उपरोक्त शुल्क में सलाहकार द्वारा किसी अन्य सलाहकार / सहयोगी (एस) को देय शुल्क शामिल है और इस उद्देश्य के लिए नियोक्ता द्वारा कुछ भी अतिरिक्त देय नहीं होगा। जीएसटी के लिए कोई अलग राशि देय नहीं है और इसे उपरोक्त शुल्क में शामिल माना जाता है। सलाहकार को सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य भविष्य के करों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे करों के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

### (C) भुगतान का प्रकार:

1	प्रारंभिक योजनाओं का अनुमोदन, विस्तृत चित्र और अनुमान	15%
2	विस्तृत चित्र और अनुमान तैयार करना	20%
3	कार्य के निष्पादन के दौरान (प्रो-राटा आधार पर) निष्पादित कार्य के मूल्य	55%
	के अनुरूप	
4	भवन/परियोजना के सफल कमीशर्निंग के बाद शेष 6 महीने।	10%





#### परिवर्धन और परिवर्तन:

- i) नियोक्ता को काम के किसी भी हिस्से के डिजाइन और ड्राइंग में परिवर्धन परिवर्तन, संशोधन या विलोपन के लिए लिखित में अनुरोध करने और इसके संबंध में अतिरिक्त काम के लिए लिखित रूप से अनुरोध करने का अधिकार होगा और सलाहकार बिना किसी अतिरिक्त कीमत के ऐसे अनुरोधों का पालन करेंगे।.
- ii) तथापि, यदि नियोक्ता मूल योजना में पर्याप्त रुप से विचलित करता है जिसमें कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन शामिल है जिससे कुल निविदा लागत में 10% से अधिक की वृद्धि होती है और इस कारण कार्य का अधिकांश हिस्सा अथवा पूरा कार्य निष्फल हो जाता है परामर्शदाता को आवश्यक तौर पर नए सिरे से ड्राइंग जारी करनी पड़ती है तब परामर्श दाताओं को क्वांटम मेरिट आधार पर ऐसी अतिरिक्त सेवाओं और व्ययों के लिए इस करार के अंतर्गत लागू प्रतिशतता और आपसी निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति की जा सकती है। बशर्ते इस प्रकार के परिवर्तन परामर्शदाताओं को अपनी चूक और अथवा विसंगतियों जिनमें परामर्श दाताओं द्वारा अपेक्षित सभी आंतरिक बाह्य सेवा संबंधी परिवर्तनों के कारण खंड 3 I (क)तथा(ख) 3 II (द) तथा (घ) के अंतर्गत दिए गए परिवर्तन शामिल हैं, के कारण न हुए हो। परामर्शदाताओं की क्षतिपूर्ति करने हेतु ऐसे विचलन तथा परिवर्धन पर्याप्त है अथवा नहीं इस मामले में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा। तथापि, संपूर्ण डिजाइन, योजनाओं इत्यादि को प्रभावित न करने वाले छिटपुट संशोधन या परिवर्तन के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- iii) निविदाऐं मंगवाने के बाद यदि पाया जाता है कि स्वीकार करने योग्य निविदा संस्वीकृत राशि के भीतर नहीं है तो परामर्शदाता को यदि नियोक्ता चाहता है इस डिजाइन तथा विनिर्देशन में आवश्यक आशोदन करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि निविदा लागत समरूपी संस्वीकृति राशि से 5% (पाच प्रतिशत) से अधिक नहीं हो। परामर्शदाताओं को ऐसे आशोधन के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा यदि नियोक्ता को यह विश्वास है कि बाजार दर का रुझान ऐसा है कि कार्य को संस्वीकृति अनुमान की राशि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता तो परामर्शदाताओं को सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए संशोधित अनुमान शीघ्र प्रस्तुत करना होगा।
- iv) परामर्शदाता नियोक्ता की पहली लिखित सहमित प्राप्त किए बिना करार दस्तावेज में वर्णित तथा दर्शाए गए कार्य में कुछ विचलन, परिवर्तन, परिवर्तन या विलोपन नहीं करेगा
- v) कार्य विशेष की लागत नियोक्ता द्वारा अनुमोदित संस्स्वीकृति अनुमान से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी किसी पूर्वानुमान त्रुटि के लिए नियुक्त का अनुमोदन पूर्ण औचित्य देते हुए पहले ही से लिया जाएगा

# समय अनुसूची (टाइम शेड्यूल) कार्य की श्रुआत:

करार पर हस्ताक्षर होने के बाद नियोक्ता द्वारा आवश्यकताओं तथा विभिन्न कार्यों की क्षेत्रीय अनुसूची परामर्श दाताओं को उपलब्ध कराने की तारीख से मानी जाएगी





- 1. सरकुलेशन, क्रियाकलाप, वितरण अन्योन्यन्यक्रिया तथा बाह्य लिंकेज की मूल कार्य विधि सहित स्थल मूल्यांकन तथा विश्लेषण रिपोर्ट देना 1 सप्ताह।
- 2. परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट देना तथा प्रतिकूल प्रभाव को प्रशमन करने के लिए अपेक्षित उपायों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए उसे ग्राहक के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप देना इस कार्य के लिए लागू नहीं।
- 3. दी गई आवश्यकताओं के अनुरूप संकल्पनसत्मक डिजाइन तैयार करना तथा सीपीडब्ल्यूडी के प्रतिमानों के अनुसार क्षेत्रीय आधार पर मोटे तौर पर अनुमानों को ग्राहकों के अनुमोदनार्थ तैयार करना 2 सप्ताह।
- 4. आवश्यक परिवर्तनों के सम्मानित करते हुए संकलनात्मक डिजाइन को अशोधित करना और सीपीडब्ल्यूडी प्रतिमाओं के अनुसार लागत अनुमान सहित प्रारंभिक ड्राइंग तथा डिजाइन एवं अध्ययन मॉडल को ग्राहकों के अनुमोदनार्थ तैयार करना 2 सप्ताह
- 5. संवैधानिक निकायों की स्वीकृति हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक ड्राइंग को तैयार करना तथा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक संस्कृति प्राप्त करना इस कार्य के लिए लागू नहीं।
- 6. लागत का अनुमान तैयार करने के लिए पर्याप्त दरों के साथ काम करने वाले चित्र, विनिर्देश और मात्रा की अनुसूची तैयार करना 2 सप्ताह।
- 7. बड़े पैमाने पर और पूर्ण आकार के विवरण, विस्तृत विनिर्देशों और निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा की अनुसूची सहित आंशिक रूप से काम करने वाले चित्र तैयार करना 2 सप्ताह
- 8. निष्पादन के दौरान कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करना सिविल कार्य अनुबंध के अनुसार
- 9. पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले कार्य का अंतिम प्रमाणीकरण- 2 सप्ताह

# 7. परामर्श दाताओं के लिए क्षतिपूर्ति

परामर्श दाताओं को खंड 6 में भी निर्देशित कार्य करने के लिए दिए गए समय का कड़ाई से पालन करना होगा तथा परामर्श दाताओं के लिए यह सुविधा का सार समझा जाएगा | संविदा की अनुबंधित अविध के दौरान कार्य पूरे परिश्रम के साथ किया जाएगा और प्रमाण परामर्श दाताओं के उपर्युक्त भी निर्देशित या नियोक्ता द्वारा लिखित में अनुमोदित बढ़ाई गई समय अनुसूची के भीतर कार्य पूरा करने में असफल होने की स्थिति में उसे कुलदेवी शुल्क पर विलंब होने वाले प्रत्येक सप्ताह में बराबर की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी यदि कार्य भी निर्देशित तारीख के बाद में अधूरा रहता है तो परामर्शदाता को अदा किए जाने वाले कुल शुल्क के अधिकतम 5% तक की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी

# 8. कार्य को बीच में छोड़ना:

यदि परामर्श दाता किसी भी कारण से के कार्य को बिच में छोड़ देता है या जैसा कि उपरा कहा गया है परामर्शदाता के रुप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो नियोक्ता परामर्शदाता द्वारा





बनाई गई सभी या किसी भी ड्राईग का पूरा उपयोग कर सकता है। और परामर्शदाता को उस तारीख तक उसे अदा किए गए अधिक शुल्क के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा ऐसे नुकसान के लिए निर्धारित धन राशि लौटानी होगी।

#### 9. संविदा समाप्ति:

नियोक्ता परामर्श दाताओं के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए किसी भी विलंब के लिए अन्यथा या किसी भी दावे के लिए या संविदा के भंग होने के संबंध में हुए नुकसानों के लिए और इस संविदा के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी अधिकार या उपाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखित में परामर्श दाताओं को एक माह का पूर्व नोटिस देकर इस संविदा को समाप्त कर सकता है और के मामले में परामर्शदाता निविदा समाप्ति की तारीख को इस करार की शर्तों के अनुसार देश से अधिक उन्हें किए गए अधिक भुगतान यदि कोई हो तो वापस लौटाने के लिए उत्तरदाई होगा तथा परामर्श दाताओं द्वारा तैयार सभी या किसी भी फाइलों का पूरा उपयोग कर सकता है।

किसी भी परिस्थित में यदि नियोक्ता कार्य के क्षेत्र को कम करने यह कार्य को पूरी तरह छोड़ने का निर्णय लेता है तो परामर्शदाताओं को किया जाने वाला भुगतान, ऐसा कोई निर्णय लिए जाने से पहले परामर्शदाताओं द्वारा निष्पादित किए गए कार्य के चरण तक अनुमोदित प्रारंभिक अनुमान के आधार पर किया जाएगा तथापि यदि एक बार कार्य अवार्ड कर दिया जाता है और फिर उसका कार्यक्षेत्र कम कर दिया जाता है तो परामर्श दाताओं को किया जाने वाला भुगतान प्रभावित बशर्ते परामर्शदाताओं के करार अनुसार सभी ड्रॉइंगो तथा अनुसूची की आपूर्ति पूर्ण कर दी हो।

# 10. माध्यस्थम (विवाचन) :

इस करार के अर्थ अथवा निर्वचन (व्याख्या) उसमें निहित किसी बात अथवा उसके प्रवर्तन की वैधता को लेकर किसी भी समय पार्टियों के बीच में यदि कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होता है जिसे आपसी बातचीत से नहीं निपटाया जा सकता, तो उसे एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को लिखित में ऐसे किसी विवाद या विवादों या असहमितयों के बारे में बताएं जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर (या उससे अधिक की अविध जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो) महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ व्यक्ति को भेजा जाएगा।

जिस मध्यस्थ के पास इस मामले को प्रारंभिक तौर पर भेजा गया है यदि उस मध्यस्थ का स्थानांतरण किया जा रहा है या वह अपना पद छोड़ रहे हैं या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हैं तो ऊपर बताए गए स्थानांतरण कार्यालय छोड़ने या कार्य करने में असमर्थता होने के कारण संविदा की शर्तों के अनुसार महानिदेशक सीएसआईआर किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व अधिकारी द्वारा छोड़े गए चरण से इस संदर्भ पर आगे बढ़ाने का हकदार होगा कार्यवाही या समय-समय पर संशोधित विभाजन सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार की जाएगी तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम तथा दोनों पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।





मध्यस्थता या तो कार्यस्थल पर या फिर भारत में अपने द्वारा तय किसी भी स्थान पर बैठेगा

इस तथ्य के बावजूद कि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा गया है या कोई विवाद या भेदभाव उत्पन्न हो गया है मतदाता परिश्रम पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे।

इस करार की यह भी शर्त है कि यदि परामर्शदाता नियोक्ता से भुगतान के लिए अंतिम बिल की तैयारी विषयक सूचना मिलने से 90 दिनों के भीतर लिखित में किसी भी मर्द के संबंध में मध्यस्थ कोई मांग नहीं करता तो दाता का कोई भी दवा समाप्त और वर्जित समझा जाएगा तथा इस करार के अंतर्गत नियोक्ता इन दावों के संबंध में सभी देनदारियों से मुक्त माना जाएगा

# 11. ड्राइंग से तो इत्यादि की संख्या तथा कॉपीराइट

ड्रॉइंगों, वास्तुशिल्प ईयर्स संरचनात्मक इलेक्ट्रिकल वात अनुकूलन अथवा अन्य सेवाओं आंतरिक तथा बाह्य शहीद इस करार के अंतर्गत परिकल्पित सभी अनुमान मात्राओं के विवरण भी उपयोग बीएचयू विस्तृत डिजाइनर रिपोर्ट ओं तथा अन्य सभी विवरणों की आपूर्ति उपर्युक्त अनुसार परामर्श दाताओं द्वारा की जाएगी किंतु यह आपूर्ति प्रिंट ओके 6 मि निर्देशित सेठ और एवं आकार में एक प्रतिकृति योग्य प्रति से कम नहीं होनी चाहिए यदि नियोक्ता को ड्रॉइंग ओं के अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी आपूर्ति आपस में सहमति से निर्धारित कीमत पर की जाएगी यह सभी ड्राइंग नियोक्ता की संपत्ति हो जाएगी और उसे इन्हें अन्यत्र कहीं उपयोग में लाने का अधिकार होगा नियोक्ता आपसी स्वीकारी आधार पर परामर्श दाताओं को रॉयल्टी का भुगतान करेगा यह तो अन्य व्यक्ति पर या प्राधिकरण को जारी नहीं की जा सकती और उन्हें परामर्श दाताओं द्वारा उनकी किसी अन्य परियोजना के लिए उपयोग किया जा सकता है नियोक्ता और नियोक्ता प्रतिनिधि के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ड्राइंग या दस्तावेज की प्रति जारी नहीं की जाएगी

# 12. करार का निर्धारण या निरसन:

नियोक्ता परामर्शदाता के प्रति अपने अधिकार में बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी देरी के संबंध में लिखित में नोटिस देकर निम्नलिखित मामलों में संविदा का निर्धारण कर सकता है:

- 1) यदि परामर्शदाता एक कंपनी के रूप में संकल्प पास करता है अथवा न्यायालय आदेश देता है कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा अथवा क्रेडिटर (लेनदार) की ओर से किसी रिसीवर अथवा प्रबंधक नियुक्ति की जाएगी अथवा यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो न्यायालय अथवा क्रेडिटर को रिसीवर अथवा प्रबंधक की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे न्यायालय को कंपनी को बंद करने के आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है।
- 2) यदि परामर्शदाता करार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं





यदि परामर्शदाता ने उक्त किसी भी खंडों के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है तो नियुक्त निम्न शक्तियां होंगी:-

- क) करार के निर्धारण या उसे निरस्त करने की
- ख) परामर्श दाताओं के जोखिम तथा लागत पर बचे हुए कार्य के लिए अन्य परामर्शदाता (परामर्शदाताओं) को काम पर लगाने तथा यदि कुछ अतिरिक्त राशि खर्च हो गई हो तो उसे परामर्शदाता के नाम में डालने की।
- 13. ड्राइंग की जांच यदि नियोक्ता के स्वयं से पर्यावेक्षी स्टाफ, यदि कोई हो तो, के द्वारा ड्राइंग तथा डिजाइनों की समीक्षा की जाती है तो इस करार के अंतर्गत इससे परामर्शदाता अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा। वास्तुशिल्पीय विनिर्देशनों की किसी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की संरचनात्मक मजबूती तथा संविदा के सभी प्रावधानों के लिए परामर्शदाता पूर्णरूपेण उत्तरदाई होगा।
- 14. परामर्शदाता परामर्शदाता कार्य के संबंधित ड्राइंगओ विनिदर्शनों मात्राओं के बिल तथा अन्य दस्तावेजों, से संबंधित यदि कोई हो, ठेकेदारों को जारी सभी दस्तावेजों निदेशों की प्रतियां नियोक्ता के पास भेजेगा
- 15. एतद्दवारा परामर्शदाता सहमित देता है कि यहां उल्लिखित (खंड 4) अदा किया जाने वाला शुल्क उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए होगा और योजनाओं, मॉडलों तथा ड्राइंगो से संबंधित किसी भी पार्टी की ओर से किसी भी मालिकाना हक अथवा कापीराइट का किसी भी प्रकार का दावा नियोक्ता पर नहीं किया जाएगा।

परामर्शदाता क्षतिपूर्ति की गारंटी देगा और नियोक्ता के ऐसे किसी भी दावे और ऐसे किसी दावे से अपनी रक्षा करने के लिए दी जाने वाली सभी कीमतों और व्ययों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति से सुरक्षा देगा।

# 16. अपवर्जन खंड :

परामर्शदाता का निम्न में नियोक्ता की सहायता करेगा:

- 1. एनआईटी/ निविदा दस्तावेजों तथा बी.क्यू.क्यू. को तैयार करना।
- 2. निविदाएं मंगाना, निविदाओं के मूल्यांकन और कार्य को संविदा पर सोंपना।
- 3. ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता (योग्यता) और उसकी शर्तें।



(Authorized Seal)

### सी. एस. आई. आर. –राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR-National Environmental Engineering Research Institute



# वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा - अनुबंध "ए" Proforma for Financial Bid- Annexure - A

(To be put in sealed cover) Ref No..... Date ..... **Director NEERI,** Nehru Marg, Nagpur. 440 020 Sub: Appointment of Architect/consultant for Construction new ladies washroom near auditorium at CSIR-NEERI, Nagpur. Dear Sir, We have carefully noted the scope of work (as mentioned in Conditions of Agreement article 3.0 for which price bid is sought) for providing our Architect/Consultancy Services for the above subject work. We are pleased to quote our fees (on Lump sum basis) as INR......) for providing our services as per the scope of work and terms & conditions of Agreement. Thanking you, Signature with name and Date: Designation of the competitor.